राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट,, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या 325/2014

दायर दिनांकः– 15.12.2014

पीठासीन अधिकारीः–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. सायरी पुत्री स्व. रामनाथ, पत्नि श्री श्रवण लाल जाति गुर्जर निवासी दरडून्द तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......वादी

बनाम

1. रुपा पुत्र स्व. रामनाथ, जाति गुर्जर निवासी दरडून्द तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. बाबूलाल पुत्र स्व. रामनाथ, जाति गुर्जर निवासी दरडून्द तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।
3. हरि उर्फ हीरालाल पुत्र स्व. रामनाथ, जाति गुर्जर निवासी दरडून्द तहसील रूपनगढ़।
4. केशर पत्नि स्व. गोपाल।
5. नाबालिग पुजा पुत्री स्व. गोपाल।
6. नाबालिग रेखराज उर्फ रेखा पुत्री स्व. गोपाल।
7. तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. उप पंजियक, रुपनगढ।

........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः–23.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सगी बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 4 की वादिया ननद है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की वादिया भुआ है। अर्थात् वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 में रक्त संबंध होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियमों व प्रावधानों के तहत पैतृक संपत्ति में हक हिस्सा प्राप्त करने की प्रथम अधिकारिणी वादिया होने से वाद पेश किया जा रहा है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता, प्रतिवादी संख्या 4 के ससुर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के दादा स्व. रामनाथ पुत्र किशना की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम दरडून्द पटवार हल्का निटुटी तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में खाता संख्या नया 158 के खसरा संख्या 250 रकबा 06 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 251 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा (किस्म बंजर प्रथम 6–07, बारानी प्रथम 40–06, बारानी सैकण्ड 0–15, का. चाही 7–00), खसरा संख्या 252 रकबा 4 बीघा (किस्म का. चाही 2–00, बारानी प्रथम 2–00), खसरा संख्या 263 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा (किस्म बारानी सैकण्ड 16–14, बारानी प्रथम 1–12) कुल किता 4 का कुल रकबा 77 बीघा है। जो वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 के पति व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता गोपाल को विरासत में वादिया व प्रतिवादीगण के पिता अर्थात् पिता/ससुर/दादा स्व. रामनाथ पुत्र किशना के फोत होने पर विरासत में प्राप्त हुई जिसका अधिकार अभिलेख के जरिये नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 के पति व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता गोपाल के नाम वर्तमान में बतौर खातेदार के रुप में अधिकार अभिलेख में उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/4 एवं मृतक गोपाल के नाम हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.02 16:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

के अनुसार इन्द्राज हो रखा है जो गलत इन्द्राज हो रखा है। जबकि उक्त वर्णित आराजी में ...या का भी जन्म से हक हिस्सा अधिकार निहित है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया एवं ...वादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज स्व. रामनाथ पुत्र किशना की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ... जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की पैतृक कृषि भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अर्थात् संयुक्त रुप से 3/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा निहित है। जबकी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पति/पिता मृतक गोपाल के नाम हिस्सा 1/4 निहित है। पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादिया का वाद अधीन कृषि भूमि में जन्म से अधिकार व हिस्सा है तथा अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की हिस्सा 1/5 की घोषणा कराने की अधिकारिणी है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक अपने कानूनन 1/5 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 संयुक्त रुप से 1/5 हिस्से से अधिक भूमि का अन्तरण, हस्तांतरण, विक्रय आदि किसी भी अजनबी क्रेता को वाद अधीन भूमि को अन्तरण करने का अधिकार नही है। जबकी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मिलीभगत करके वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण, विक्रय आदि करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अगर प्रतवादी संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बैचान कर देते है तो वादिया को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि को किसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को अन्तरण नही करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, प्रतिवादी संख्या 8 को किसी प्रकार के वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेज पंजीयन न करने हेतु पाबंद किया जावे। वादिया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियमों एवं प्रचलित विधियों के तहत वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि आराजी की श्रेणी में होने से वादिया के हित अधिकार सृजित होने से माननीय न्यायालय में वाद वर्णित आराजी में वादिया पुश्तैनी अधिकारों के तहत 1/5 हिस्सा की खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का के पति/पिता गोपाल के नाम 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में गलत इन्द्राज हो रखा है जिसमें वादिया का 1/5 हिस्सा उत्तराधिकारी में प्राप्त करने के लिए काबिज काश्त खातेदार घोषित फरमाते हुए घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाने हेतु वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है एवं वादिया विधि एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुकूल सम्पत्तिक अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया है। वादिया अपने पिता की वादग्रस्त पैतृक कृषि आराजी होने से वाद वर्णित हिस्से पर काबिज काश्त कर रही है परन्तु अधिकार अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के प्रति/पिता के नाम होने से अनुचित फायदा उठाने एवं बिना किसी आवश्यकता के उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से से मिलीभगत करके अन्य ... व्यक्ति ... अन्तरण, हस्तांतरण करने पर आमादा है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 विरासत से प्राप्त ... खुर्द बुर्द करने पर पूर्ण रुप से तैयार है जबकि वादिया द्वारा उक्त आराजी ... विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के तहत विधिक हित अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 उक्त आराजी का बेचान, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया है जिसका अनुतोष राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.02 16:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

यम 1955 की धारा 188 के तहत प्राप्त होने योग्य है। वाद कारण दिनांक–10.12.2014 को जब न हुआ कि वादिया वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में अवस्थित अपने हक, हिस्से की भूमि की भाल करने गयी तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादिया के हक हिस्से से इन्कार करते हुए लात् बेदखल करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदारी का अंकन होने का अनुचित फायदा उठाते हुए बेचान, हस्तांतरण, अन्तरण करने की वादिया को धमकी दी। वादिया व उनके रिश्तेदारों द्वारा काफी समझाईश करने की कोशिश की गई परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादिया को उनका पैतृक कृषि भूमि में हिस्सा देने से स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया। तब वादिया पटवारी हल्का से व तहसील कार्यालय से पुराने रिकॉर्ड की नकलें दिनांक–12.12. 2014 को प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय में अविलम्ब रुप से वाद पेश कर दिया। तब से वाद कारण निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 से 8 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के सम्मन अदमतामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ किन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग है जिनकी संरक्षिका प्रतिवादी संख्या 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उक्त दावा स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अन्य प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त नहीं होने पर जवाब बंद किया गया। प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर स्पष्ट की गई। वादी साक्ष्य हेतु सायरी पुत्री रामनाथ पत्नि श्रवणलाल जाति गुर्जर निवासी दरडून्द हाल निवासी मांडण तहसील परबतसर जिला नागौर व हुकमाराम पुत्र जालुराम जाति मेघवाल निवासी नवां, तहसील रुपनगढ की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. वास्ते साक्ष्य हेतु पेश कियें, जिन पर संबंधित के बयान लिये गये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दावा सम्मत जवाब पेश करने से वादिया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 250 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 251 रकबा 54 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 263 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 का कुल रकबा 77 बीघा भूमि में वादिया को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.07.02 16:14:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)